ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटिल) : (क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी सक्षम वयस्कों, जिनको निधियों की आवश्यकता और इच्छा है किन्तु वे इन्हें प्राप्त नही कर सकते, के लिए गैर कृषि मौसम के दौरान शारीरिक श्रम वाला लाभकारी रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है । इच्छुक श्रमिकों को अपना नाम वी0एल0डब्ल्यू0 अथवा ग्राम पंचायतों अथवा कार्य स्थल पर पंजीकृत कराना होता है ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 50वें सर्वेक्षण (1993-94) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज्गारों की संख्या 4.71 मिलियन होने का अनुमान है । कुल बेरोजगारों में से (आयु समूह 15+) शिक्षित बेरोजगारी की संख्या 60.9% है । कुल ग्रामीण बेरोजगार लोगों में से कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों की संख्या मालूम नही है ।

(घ) भारत सरकार ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार करती है और ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी, लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक कार्यो के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास, रोजगार अवसरों का सृजन, आत्म निर्भरता को प्रोत्साहन, जागरूकता सृजन और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने पर लाक्षित परियोजनाओं/योजनाओं का प्रोत्साहन, आयोजन संचालन, विकास, रखरखाव और सहायता करना है ।

(ड) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो एक स्वरोजगार कार्यक्रम है कि अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लाभार्थियों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाता है जबकि लाभार्थियों को सहायता का सब्सिडी घटक सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ।

ग्रामीण विकास योजनाओं में आर्थिक अनियमितताएं

2390. **श्रीमती शबाना आज़मी** :

श्री बरजिन्दर सिंह :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि सरकार को गत तीन वर्षो में विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से ग्रामीण विकास के लिए चलायी जा रही विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी आर्थिक अनियमितताएं बरती जाने के समाचार मिले है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली आर्थिक धांधलियों को रोकने हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए कोई उपाय किए है; और

(घ) यदि नही,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटिल) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के कार्यक्रम पूरे देश में कार्यान्वित किए जाते है हालांकि जवाहर रोजगार योजना जैसे कार्यक्रम देश की सभी पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किए जाते है तथापि अन्य अधिकांश कार्यक्रमों का कवरेज भी अत्यंत व्यापक है । कार्यान्वयन के रूप में भी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कई एजेंसियां जिम्मेदार हैं । जब कभी भी मंत्रालय को शिकायतें प्राप्त होती है उन पर उचित कार्रवाई की जाती है ।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का जिला स्तर पर डी0आर0डी0ए0 द्वारा निगरानी की जाती है । ब्लाक/डी0आर0डी0ए0 स्तर पर क्षेत्र के दौरों और परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन द्वारा निगरनी की जाती है । डी0आर0डी0ए0 का शासी निकाय डी0आर0डी0ए0 द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है और वार्षिक योजना भी अनुमोदित करता है । अन्य व्यक्तियों के अलावा संसद सदस्य और विधायक डी0आर0डी0ए0 के शासी निकाय के सदस्य होते है । राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति कार्यक्रम की निगरानी करती है । केन्द्रीय स्तर पर केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करती है और नीति संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करती है । इसी प्रकार इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, सतर्कता और निगरानी के लिए राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियां गठित करने के अनुदेश जारी किये जाते है । संसद सदस्य, विधायक और राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधि आदि इन समितियों के सदस्य होते है । ये समितियां विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के जिले में कार्यान्वयन में निधियों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए भी अधिकृत है । इसके अतिरिक्त सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए ब्लाक और जिला स्तर पर

सुनिश्चित रोजगार योजना समितियां गठित करने के अनुदेश जारी किए गए है । अन्य व्यक्तियों के अलावा संसद सदस्य और विधायक भी इन समितियों के सदस्य होते है ।

वैयक्तिक लाभार्थी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा में खुले और पारदर्शी ढ़ंग से किया जाता है । सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजनाएं ग्राम सभा और पंचायतों के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर लोगों की आवश्यकता के अनुरूप तैयार की जाती है । सभी तीन स्तरों की पंचायती राज संस्थाएं कार्यान्वयन में शामिल है । जवाहर रोजगार योजना सभी स्तरों पर पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जाती है । इसके अतिरिक्त मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह अनुदेश जारी किया गया है कि पंचायत के पास उपलब्ध कुछ निधि और कार्यो से संबंधित आवश्यक ब्यौरे पंचायत कार्यालय में और कार्यस्थल पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किये जाने चाहिए और ग्राम पंचायत के लेखे ग्राम सभा द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए खुले होने चाहिए ।

मंत्रालय ने विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को क्षत्रीय अधिकारी योजना के जरिए सुदृढ़ बनाने के रयास किए है जिसके अंतर्गत मंत्रालय के अधिकारी क्षेत्र का दौरा करते है और विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करते है । विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी डी0आर0डी0ए0/राज्यों से प्राप्त रिपोर्टो और विवरणों के जरिए मासिक, तिमाही, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर की जाती है ।

Implementation of Employment Assurance Scheme in UP

2391. SHRI NAGENDRA NATH OJHA: Will the Minsiter of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that, under the centrally sponsored Employment Assurance Scheme in Uttar Pradesh, 293 water conservation and plan protection works on whom Rs. 624.95 lakh were spent upto 1993-94 were left incomplete;

(b) if so, whether necessary steps were taken to complete those works; and

(c) if so, how many works out of 293 incomplete works have been completed upto now indicating the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) Employment Assurance Scheme (EAS) was under implementation in 145 blocks of 20 districts during 1993-94. The State Government have reported that as against the Central Government release of Rs. 2450 lakh the State Government had released matching share of Rs. 612.50 lakh and that against the total availability of Rs. 3062.50 lakh, the implementing agencies incurred Rs. 647.68 lakh out of which Rs. 423.73 lakh was spent on water conservation and land protection works. It has further been reported out of 339 Water Conservation and Land Protection works, 184 works were under progress in 19 districts during 1993-94.

(b) Yes, Sir. Implementing agencies were directed by the Government of Uttar Pradesh to complete the projects at the earliest and District Rural Development Agencies had been directed to monitor the progress closely.

(c) As per information currently available from 19 out of 20 districts, out of 184 incomplete works in 1993-94, only 29 works in Banda districts are yet to be completed. The State Government have assured that these projects will also be completed shortly. District-wise expenditure on Water Conservation and Land Protection works and status of works may please be seen in the Statement.